कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न० (0135) – 2713551
फोन न० (0135) -2713724,

संख्या–1493 /xxv– 10 (P3) /2023 देहरादून : दिनांक 24 अगस्त 2023

Election-Urgent

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं,
जिला निर्वाचन अधिकारी,
बागेश्वर।

विषयः **जनपद बागेश्वर की 47–बागेश्वर (अ0जा0) विधान सभा के लिए उप निर्वाचन–2023–मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियत कार्यक्रमानुसार दिनांक 05 सितम्बर, 2023 को जनपद बागेश्वर की 47–बागेश्वर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन–2023 हेतु मतदान होना नियत है।

1– उत्तराखण्ड शासन श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–148540/23(1)/VIII-I/23–331(श्रम)/2002 दिनांक 22 अगस्त, 2023 द्वारा 47–बागेश्वर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन–2023 के लिए मतदान दिवस दिनांक 05 सितम्बर, 2022 को बाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत मनाये जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो तो मतदान के दिवस को सवेतन सार्वजनिक अवकाश मनायें जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश में यह भी प्राविधानित है किया गया है कि अविरल प्रकिया वाले कारखानों में कारखाना प्रबंधक अपने समस्त कर्मचारियों/कर्मकारों को मतदान का समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे तथा उन्हें मताधिकार से वंचित नही करने करेंगे।

2– उत्तराखण्ड शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–1321/ XXXi/(15)G /2023–10(सा0)/(ई पत्रावली 60298)दिनांक 18 अगस्त, 2023 द्वारा 47–बागेश्वर, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्योगों), समस्त शासकीय/अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध–निकायों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों को मतदान हेतु मतदान दिवस दिनांक 05 सितम्बर, 2023 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी स्वीकृति दी गयी है कि ''यदि कोई व्यक्ति जनपद बागेश्वर की 47–बागेश्वर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है किन्तु वह निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कार्यरत है तो ऐसे निर्वाचकों को चाहे वे संविदा पर कार्यरत हों को भी मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।''

अतः उक्त की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध करना है कि कृपया तदनुसार मतदान दिवस पर समस्त अर्ह मतदाताओं हेतु मताधिकार के प्रयोग के लिए अवकाश के सम्बन्ध में समस्त अधीनस्थ को निर्देशित करते हुए मतदान दिवस पर अवकाश के संबंध में स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

संख्याः 1493/XXV–10(P3) /2023 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को उक्त वर्णित पत्र/अधिसूचना की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्याः— /VIII/23—331(श्रम)/2002
देहरादून, दिनांकः 22 अगस्त, 2023

अधिसूचना

उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा—शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2018) की धारा—26 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल, राज्य के जनपद बागेश्वर की 47—बागेश्वर (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन—2023 हेतु दिनांक 05 सितम्बर 2023 (मंगलवार) को मतदान के लिए उक्त संबंधित क्षेत्र में स्थित समस्त दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में मतदान की तिथि 05 सितम्बर 2023 (मंगलवार) को, उक्त अधिनियम की धारा—26 के उपबन्धों के अधीन, यदि उक्त दिवस को ऐसे दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत मनाये जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो तो मतदान के दिवस को "सवेतन सार्वजनिक अवकाश" के रूप में मनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. कारखाने के विषय में निर्देश दिये जाते हैं कि—

(i) कारखानों के विषय में यदि मतदान की तिथि 05 सितम्बर 2023 (मंगलवार) साप्ताहिक अवकाश का दिन नहीं है, तो संबंधित कारखाने के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा—135 (ख) के प्रावधानों के अधीन सवेतन अवकाश का दिन मनाया जायेगा तथा श्रमिकों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।

(ii) किन्तु अविरल प्रक्रिया (Continous Process) वाले कारखानों में कारखाना प्रबंधक अपने समस्त कर्मचारियों/कर्मकारों को मतदान का समुचित एवं पर्याप्त (Responsible and Sufficient) अवसर प्रदान करेंगे तथा उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं करेंगे।

Signed by R. Meenakshi Sundaram
Date: 22-08-2023 17:26:26

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या 148540/23 (1)/VIII/23—331(श्रम)/2002, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2— मण्डलायुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
3— जिलाधिकारी, बागेश्वर, उत्तराखण्ड।
4— महानिदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को जन—सामान्य में प्रचार—प्रसार कराये जाने हेतु।
5— श्रमायुक्त/मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें।
6— उप/सहायक निदेशक, कारखाना/बॉयलर, उत्तराखण्ड।
7— उप/सहायक श्रमायुक्त/श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8— उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9— गार्ड फाइल।

JCEO
RO II
SO 23-8-23
23/8/23
डॉ. वी. षणमुगम
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
उप सचिव।

Draft

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या–/321/xxxi(15)G/2023–10(सा0)/2017(ई पत्रावली 60298)
देहरादूनः दिनांक 18 अगस्त, 2023

<u>अधिसूचना</u>

श्री राज्यपाल, निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या–26) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या–20/25–56–पब–2, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के तहत, भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 78/EPS/2023 दिनांक 10 अगस्त, 2023 तथा भारत निर्वाचन आयोग के प्रेसनोट संख्या ECI/PN/47/2023 दिनांक 08 अगस्त 2023 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा उप निर्वाचन–2023 हेतु **जनपद–बागेश्वर में समाविष्ट 47–बागेश्वर (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया संस्थानों (उद्योगों), समस्त शासकीय/अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/ अर्द्ध–निकायों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों** को मतदान हेतु **दिनांक 05 सितम्बर, 2023 (मंगलवार)** को सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले बैंक, कोषागार तथा उपकोषागार भी बन्द रहेंगें।

यदि कोई व्यक्ति जनपद बागेश्वर की 47–बागेश्वर (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है, किन्तु वह निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कार्यरत है तो ऐसे निर्वाचकों को चाहे वे संविदा पर कार्यरत हों, को भी मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।

Signed by Vinod Kumar Suman
Date: 18-08-2023 17:41:37

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव

<u>संख्या– /xxxi(15)G/23–10(सा0)/2017 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों व कार्यालयों में निर्दिष्ट तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।